



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

5 फाल्गुन, 1942 (श०)

संख्या-151 राँची, बुधवार,

24 फरवरी, 2021 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

संकल्प

10 फरवरी, 2021

संख्या-5/आरोप-1-67/2018-1490 (HRMS)-- श्री आशुतोष कुमार, झा0प्र0से0 (चतुर्थ 'सीमित' बैच, गृह जिला-पाकुड़), तत्कालीन कार्यपालक दण्डाधिकारी-सह-प्रभारी जिला कल्याण पदाधिकारी, चतरा, सम्प्रति-निलंबित के विरुद्ध उपायुक्त, चतरा के पत्रांक-432/स्था0, दिनांक-05.07.2018 द्वारा प्रपत्र-‘क’ में आरोप गठित कर उपलब्ध कराया गया है। श्री कुमार के विरुद्ध प्रपत्र-‘क’ में निम्नवत् आरोप प्रतिवेदित किये गये हैं-

आरोप सं0-1- प्राथमिक जाँच से स्पष्ट है कि श्री आशुतोष कुमार, कार्यपालक दण्डाधिकारी, चतरा के पद पर रहते हुए तैतालिस (43) बैंक अन्तरण द्वारा कुल छः करोड़ अड़तालीस लाख रुपये (6,48,00,000 रुपये) की अनधिकृत रूप से निकासी की गई। श्री आशुतोष कुमार द्वारा पद के अनुकूल आचरण न करते हुए गलत सूचना दर्ज कर नया रोकड़ पंजी का संधारण किया गया। दिनांक-02.11.2017 के पूर्व जिला कल्याण शाखा, चतरा द्वारा बारह बैंक खातां का संचालन किया जा रहा है, परंतु दिनांक 02.11.2017 को जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, चतरा के निचले तले में अग्नि काण्ड के पश्चात् श्री आशुतोष कुमार द्वारा बारह बैंक खाता के स्थान पर मात्र तीन बैंक खाते-01 आई0डी0बी0आई, चतरा 02 बैंक ऑफ इंडिया 03 भारतीय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अन्त शेष के

आधार पर नया रोकड़ पंजी प्रारंभ किया गया अन्य नौ बैंक खाते 01 आई0सी0आई0सी0आई0 बैंक, चतरा 02 एक्सिस बैंक, चतरा 03 युनियन बैंक, चतरा, 04 झारखण्ड ग्रामीण बैंक चतरा 05 एच0डी0एफ0सी0 बैंक चतरा 06 ओरियेन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स, चतरा, 07 एस0बी0आई0 चतरा, खाता सं0-(11475685163) 08 कैनरा बैंक चतरा 09 इलाहाबाद बैंक चतरा में संधारित सरकारी राशि को रोकड़ पंजी में दर्ज नहीं किया गया एवं छलपूर्ण निकासी करते हुए व्यक्तिगत बैंक खातों में अन्तरित कर दी गई। श्री आशुतोष कुमार द्वारा इस कृत्य से पूर्व की वित्तीय अनियमितताओं के साक्ष्य को छुपाने का प्रयास किया गया तथा वर्तमान में वित्तीय अनियमितता एवं सरकारी राशि का छलपूर्ण निकासी के लिए पृष्ठभूमि तैयार की गई। अतः श्री आशुतोष कुमार का यह कृत्य साक्ष्य छुपाने, वित्तीय अनियमितता करना एवं गलत दस्तावेज तैयार करना है।

आरोप सं0-2- श्री आशुतोष कुमार द्वारा छात्रावृत्ति मद में प्राप्त राशि कुल दो करोड़ पच्चीस लाख इकतालीस हजार चार सौ सत्तावन रुपये (2,25,41,457) की राशि को नियमविरुद्ध तरीके से ग्यारह (11) विधालय प्रबंधन समिति एवं बैंक खाता की सूची बनाकर ई0-अन्तरण के लिए आई0सी0आई0सी0आई बैंक, चतरा को उपलब्ध कराया गया। बैंक प्रबंधक, आई0सी0आई0सी0आई बैंक, चतरा द्वारा छात्रावृत्ति की राशि को श्री आशुतोष कुमार द्वारा उपलब्ध कराये गये आठ (8) बैंक खातों में अन्तरित कर दिया गया। तीन (03) बैंक खातों में अन्तरण न होने से बैंक प्रबंधक द्वारा जब बैंक खाता का सत्यापन किया तो यह पाया कि जिला कल्याण पदाधिकारी, चतरा श्री आशुतोष कुमार द्वारा उपलब्ध कराये गये बैंक खाते वास्तविक विद्यालय प्रधान समिति के न होकर नाजीर, श्री इन्द्रदेव प्रसाद एवं उनके पुत्र एवं परिजनों के बैंक खाते थे। बैंक मैनेजर द्वारा जानकारी देने पर श्री आशुतोष कुमार, नाजीर श्री इन्द्रदेव प्रसाद और उनके परिजनों के बैंक खातों से पुनः जिला कल्याण पदाधिकारी, चतरा के खाते में वापस लाई गई और फिर वापस छात्रावृत्ति की राशि को एस0बी0आई0, चतरा के सुप्त खाता (खाता सं0- 11475685163) में अन्तरित कर दिया गया और पुनः उस छात्रावृत्ति की राशि को श्री मिथलेश मिश्रा, सेवानिवृत्त, प्रखण्ड कल्याण पदाधिकारी, श्री सूरज अग्रवाल, विराट टैलिकॉम अन्नया इन्फोटेक, प्रयास (NGO) के बैंक खातों में वित्तीय नियमों की अनेदेखी करते हुए छलपूर्ण तरीके से अन्तरित कर दिया गया, जबकि इन व्यक्तियों एवं संस्थाओं पर जिला कल्याण कार्यालय, चतरा का कोई वित्तीय दायित्व नहीं था। पुनः उपरांकित व्यक्तियों एवं संस्थाओं के बैंक खातों से नाजीर और उसके परिजनों के बैंक खातों में राशि अन्तरित कर दी गई। प्राथमिक जाँच से यह भी स्पष्ट है कि श्री कुमार द्वारा ई0-अन्तरण के लिए दर्ज ग्यारह (11) विधालय प्रबंधन समिति में आठ (08) फर्जी थे। श्री आशुतोष कुमार का यह कृत्य सरकारी राशि का विचलन, विभागीय निदेश का उल्लंघन एवं सरकारी राशि की अपहानि के साथ सरकारी राशि के गबन में संलिप्तता है।

आरोप सं0-3- दिनांक 02.11.2017 में अग्नि कांड में रोकड़ पंजी एवं चेकबुक जलने की सूचना वरीय पदाधिकारी को नहीं दी गई। दिनांक-02.11.2017 के बाद मात्र तीन बैंक खातों के अन्तः शेष के आधार पर नया रोकड़ पंजी संधारित किया गया तथा नौ (09) अन्य खाता एवं उसमें संधारित राशि की सूचना को छुपाया गया। दिनांक-02.11.2017 के पूर्व से प्राप्त चेकबुक का प्रयोग कर सरकारी राशि का

छलपूर्ण निकासी की गई। श्री आशुतोष कुमार का यह कृत्य गलत दस्तावेज तैयार करने, साक्ष्य छुपाने तथा मिथ्या भाषण करने का कृत्य है।

आरोप सं0-4- श्री मिथलेश मिश्र, (सेवानिवृत्त), प्रखण्ड कल्याण पदाधिकारी, चतरा को कुल छः योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए पूर्व से ही अग्रिम राशि दी गई थी। सेवानिवृत्ति के उपरांत श्री मिश्र पर एक करोड़ तैतीस लाख तिरपन हजार पाँच सौ रूपया (1,33,53,516/-) पूर्व से ही समायोजन के लिए लंबित था। इसके बावजूद श्री आशुतोष कुमार द्वारा श्री मिथलेश मिश्र को नियम विरुद्ध तरीके से अठान्बे लाख, चौतीस हजार एक सौ छियालीस रुपये (98,34,146/-) अग्रिम दे दिया गया। श्री कुमार द्वारा सरकारी राशि के दोहन में संलिप्त रहते हुए श्री मिश्र को अनुचित लाभ पहुँचाया गया। श्री मिथलेश मिश्र के बैंक खातों में अन्तरित राशि पुनः नाजीर और उनके परिजनों के खातों में अन्तरित हुई। श्री कुमार का यह कृत्य निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी के दायित्व के प्रतिकूल एवं पदीय कर्तव्य के प्रतिकूल है।

आरोप सं0-5- दिनांक 02.11.2017 के पश्चात् संधारित रोकड़ पंजी एवं बैंक विवरणी के आवलोकन से स्पष्ट होता है कि बड़ी राशि का अन्तर होने के बावजूद श्री आशुतोष कुमार द्वारा निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की हैसियत से ध्यान नहीं दिया गया। वित्तीय नियमावली में रोकड़ पंजी और बैंक विवरणी का मिलान प्रत्येक माह किया जाना निदेशित है, जिसका अनुपालन नहीं किया गया, जो गलत एवं छलपूर्ण निकासी की मंशा और संलिप्तता एवं वित्तीय अनुशासनहीनता को दर्शाता है।

आरोप सं0-6- प्रोटोटाइप योजना के कार्यान्वयन हेतु गैर सरकारी संस्था 'प्रयास और सपोर्ट' को बिना अभिलेख संधारण किये हुए सरकारी राशि दी गई। संस्था को निर्गत कार्यादेश, अभिश्रव कार्यपूर्णता के वगैर सरकारी राशि देना वित्तीय अनियमितता है। वांछित दस्तावेज एवं कार्य का भौतिक सत्यापन किये बिना राशि महालेखाकार के निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या- SS143/2013-14 में अग्रिम राशि देने के संबंध में आपति अंकित की गई है, उसके बावजूद उपरोक्त एन0जी0ओ0 को वित्तीय नियमों को अनदेखी करते हुए राशि प्रदान कर दी गई। श्री कुमार का यह कृत्य सरकारी राशि की अपहानि एवं सरकारी राशि के गबन में संलिप्तता को दर्शाता है और यह कृत्य झारखण्ड वित्तीय नियमावली एवं झारखण्ड कोषागार संहिता का उल्लंघन है।

आरोप सं0-7- उप विकास आयुक्त, चतरा के द्वारा फर्जी चेक निकासी मामले में जाँच कार्य में सूचना साझा करने के लिए निदेश देने के पश्चात् श्री आशुतोष कुमार द्वारा पुनः गलत कथन प्रस्तुत किया गया कि विधालय प्रबंधन समिति और जाँच कार्य को भ्रमित करने का प्रयास किया गया। श्री कुमार का यह कृत्य मिथ्या भाषण करने एवं पद के अनुकूल कार्य नहीं किया जाना है।

आरोप सं0-8- बैंक खातों में संचित एवं अव्यवहृत राशि को सरकारी राजकोष के वापसी शीर्ष में जमा कराने का विभागीय निर्देश प्राप्त होने के बावजूद श्री आशुतोष कुमार द्वारा इसका अनुपालन नहीं किया गया। एक वित्तीय वर्ष में प्राप्त राशि को बिना अनुमति के आगामी वित्तीय वर्षों में व्यय किया जाना वित्तीय नियमावली के अनुकूल नहीं है, परन्तु श्री आशुतोष कुमार द्वारा स्वेच्छाचारिता बरतते हुए

बैंक खाते में संचित एवं अव्ययहृत राशि को चेक के माध्यम से निजी व्यक्तियों को लाभ पहुँचाने के लिए निकासी कर ली गई, जो गंभीर वित्तीय अनियमितता है।

श्री कुमार के विरुद्ध प्रतिवेदित गंभीर आरोपों के आलोक में विभागीय अधिसूचना सं0-1071(hrms), दिनांक 25.07.2018 द्वारा श्री कुमार को झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम-9(1)(क) के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया तथा विभागीय पत्रांक-6404, दिनांक 23.08.2018 द्वारा इनसे स्पष्टीकरण की माँग की गई, जिसके अनुपालन में श्री कुमार के पत्र, दिनांक 24.12.2018 द्वारा अपना स्पष्टीकरण समर्पित किया गया।

श्री कुमार के विरुद्ध प्रतिवेदित गंभीर आरोप एवं इनसे प्राप्त स्पष्टीकरण के समीक्षोपरांत, विभागीय संकल्प सं0-434(hrms), दिनांक 05.02.2019 द्वारा इनके विरुद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी है, जिसमें श्री विनोद चन्द्र झा, सेवानिवृत्त भा0प्र0से0, विभागीय जाँच पदाधिकारी, झारखण्ड को संचालन पदाधिकारी नियुक्त किया गया।

संचालन पदाधिकारी, श्री झा के पत्रांक-135, दिनांक 06.06.2019 द्वारा विभागीय कार्यवाही का जाँच प्रतिवेदन समर्पित किया गया है, जिसमें श्री कुमार के विरुद्ध प्रतिवेदित सभी आरोपों को प्रमाणित प्रतिवेदित किया गया।

श्री कुमार के विरुद्ध प्रतिवेदित आरोप, आरोपों पर उनका बचाव-बयान एवं संचालन पदाधिकारी के जाँच प्रतिवेदन के समीक्षोपरांत श्री कुमार के विरुद्ध प्रमाणित आरोपो हेतु झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम-14(xi) के अन्तर्गत सेवा से बर्खास्त करने के बिन्दु पर द्वितीय कारण पृच्छा करने का निर्णय लिया गया तथा विभागीय पत्रांक-9203, दिनांक 20.11.2019 द्वारा श्री कुमार से सेवा से बर्खास्तगी के बिन्दु पर द्वितीय कारण पृच्छा की माँग की गयी।

श्री कुमार के पत्र, दिनांक 19.12.2019 द्वारा द्वितीय कारण पृच्छा समर्पित करने हेतु कतिपय दस्तावेज की माँग की गयी, जिसके आलोक में विभागीय पत्रांक-1020, दिनांक 07.02.2020 द्वारा श्री कुमार को वांछित कागजात उपायुक्त, चतरा के कार्यालय से प्राप्त कर शीघ्र द्वितीय कारण पृच्छा समर्पित करने का निदेश दिया गया। परन्तु इनके द्वारा द्वितीय कारण पृच्छा समर्पित न कर अपने पत्र, दिनांक 03.03.2020 द्वारा अभ्यावेदन समर्पित कर लगाये गये आरोपों के संबंध में दर्ज प्राथमिकी के आलोक में आपराधिक न्यायालय के निर्णय आने तक मामला स्थगित रखने एवं निलंबन से मुक्त करने का अनुरोध किया गया।

श्री कुमार द्वारा समर्पित अभ्यावेदन की समीक्षा की गई। समीक्षोपरांत इनके अभ्यावेदन को अस्वीकृत करते हुए इनके विरुद्ध गंभीर वित्तीय अनियमितता से संबंधित प्रमाणित आरोपों के आलोक में झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम-14(xi) के अन्तर्गत सेवा से बर्खास्त करने पर माननीय मुख्यमंत्री जी का अनुमोदन प्राप्त किया गया।

विभागीय पत्रांक-5843, दिनांक 13.11.2020 द्वारा झारखण्ड लोक सेवा आयोग, राँची से श्री कुमार को सेवा से बर्खास्त करने के बिन्दु पर सहमति संसूचित करने का अनुरोध किया गया। उक्त के आलोक में

सचिव, झारखण्ड लोक सेवा आयोग, राँची के पत्रांक-38, दिनांक 05.01.2021 द्वारा श्री कुमार को सेवा से बर्खास्त करने के बिन्दु पर सहमति प्रदान की गयी है।

तत्पश्चात्, दिनांक 03.02.2021 को मंत्रिपरिषद् की बैठक में श्री आशुतोष कुमार, झा0प्र0से0 तत्कालीन कार्यपालक दण्डाधिकारी-सह-प्रभारी जिला कल्याण पदाधिकारी, चतरा, सम्प्रति- निलंबित को झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम-14(xi) के तहत सेवा से बर्खास्त करने का प्रस्ताव मद सं0-24 के रूप में सम्मिलित किया गया एवं स्वीकृत किया गया है।

अतः श्री आशुतोष कुमार, झा0प्र0से0 (चतुर्थ 'सीमित' बैच, गृह जिला-पाकुड़), तत्कालीन कार्यपालक दण्डाधिकारी-सह-प्रभारी जिला कल्याण पदाधिकारी, चतरा, सम्प्रति- निलंबित के विरुद्ध प्रमाणित गंभीर आरोपों के आलोक में झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम-14(xi)के तहत सेवा से बर्खास्त किया जाता है।

Sr No.	Employee Name G.P.F. No.	Decision of the Competent authority
1	2	3
1	ASHUTOSH KUMAR JHK/JAS/240	श्री आशुतोष कुमार, झा0प्र0से0 (चतुर्थ 'सीमित' बैच, गृह जिला-पाकुड़), तत्कालीन कार्यपालक दण्डाधिकारी-सह-प्रभारी जिला कल्याण पदाधिकारी, चतरा, सम्प्रति- निलंबित के विरुद्ध प्रमाणित गंभीर आरोपों के आलोक में झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम-14(xi)के तहत सेवा से बर्खास्त किया जाता है।

आदेश:- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को झारखण्ड राजपत्र के आसाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी एक प्रति श्री आशुतोष कुमार, झा०प्र०से० एवं अन्य संबंधित को दी जाय।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

ओम प्रकाश साह,
सरकार के संयुक्त सचिव।
जीपीएफ संख्या:BHR/BAS/3282
